ACM आमेर

कार्यालय टिप्पणी

जी. ई. एन. 18

137/13 बिरदीचन्द बनाम बाबूलाल

17/2/2023 पत्रावली प्रस्तुत। वकील वादी उपस्थित। वादी के अधि- की बहस सुनी गई। प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। पूर्व में भी अपरिवाद होने हेतु अवसर दिया जा चुका है। अतः पत्रावली वास्ते आदेश हेतु नियत की जाती है। पत्रावली दिनांक 28/2/2023 को वास्ते आदेश पेश हो।

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

28/2/2023 पत्रावली प्रस्तुत। वकील वादी उप.। पत्रावली खारिज की जाती है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

न्यायालय :– सहायक कलेक्टर आमेर, मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : सुनील शर्मा
आर.ए.एस.

नियमित वाद संख्या – 137/2013 वाद प्रस्तुति दिनांक – 12.06.2013

1. बिरदीचंद पुत्र भूरा
2. गणेश पुत्र भूरा
3. मदन लाल
4. चौथमल
5. ग्यारसी लाल

पुत्रान गोविन्द राम जातियान बागडा ब्राहमण निवासीयान राधाकिशनपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।

.... वादीगण

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र लादूराम दत्तक पुत्र प्रभात जाति बागडा ब्राहमण निवासी ग्राम राधाकिशनपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर जिला जयपुर।
3. उप पंजीयक आमेर जिला जयपुर।
4. राधा देवी पत्नी मूलचंद
5. उप पंजीयक आमेर तहसील जयपुर जिला जयपुर।

..........प्रतिवादीगण

न्यायालय सहायक कलेक्टर आमेर मु. जयपुर

दावा अंतर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

दिनॉंक:– 28.02.2023

निर्णय

हस्तगत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम राधाकिशनपुरा पटवार क्षेत्र राधाकिशनपुरा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जाहोता, तहसील आमेर जिला जयपुर राज. मे स्थित खसरा नम्बर 430 रकबा 0.56 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 432 रकबा 0.67 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.23 हैक्टेयर में स्थित की हाल खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है। वाद पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित आरजीयात को आगे के मदों में आगे चलकर विवादग्रस्त के नाम से संबोधित किया गया है। विवादित आरजीयात पर वादीगण बेजमाने जागीर के समय से वादीगण के पूर्व में वादीगण के पूर्वजों का कब्जा काश्त चला आ रहा है, तथा उक्त आराजीयात

सहायक कलेक्टर
आमेर मु. जयपुर

के तीनों ओर वादीगण की अन्य खातेदारी भूमि में स्थित है, तथा अपनी अन्य खातेदारियों की भूमियों के साथ विवादित आराजीयात को मिलाकर एक जाव बना रखा है, जिसकी सिंचाई वादीगण के द्वारा स्वयं के बोरिंग से की जाती रही है। वादीगण उक्त आराजीयात के खातेदार काश्तकार है, परंतु भू प्रबंध कार्यवाही के दौरान विवादित आराजीयात में वादीगण व उनके पूर्वजों का नाम दर्ज होने से रह गया, जबकि उक्त आराजीयात पर वादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है, एवं वादीगण तथा उनके पूर्वजों के द्वारा भूमि का लगान जमा करवा जा रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 व उसके पिता का भूमि पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है, तथा न ही आज है, स्वयं प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा वादीगण के विरूद्व वाद दिनांक 13.10.2011 को स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया था, जिसमें वादीगण के उपस्थित होते ही विड्रो करवा लिया गया, इस दावे से भी स्पष्ट है कि विवादित आराजीयात पर प्रतिवादी संख्या 1 का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है। विवादित आराजीयात पर वादीगण का लम्बे समय से कब्जा काश्त चला आ रहा है, तथा उक्त आरजीयात का लगान वादीगण द्वारा जमा करवाया जा रहा है। व संपूर्ण प्रकार से वादीगण ही उक्त भूमि का उपयोग व उपभोग करते आ रहे हैं, इस प्रकार वादीगण को विवादित आराजीयात के बाबत खातेदारी अधिकार भी समाप्त हो चुके है। विवादित आरजीयात बजमाने जागीर के समय से वादीगण व उनके पूर्वजों का कब्जा काश्त चला आ रहा है, तथा वादीगण को यह अधिकार प्राप्त है कि वो उक्त आरजीयात के बाबत खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाये, इस कारण यह वाद बाबत घोषणा का मान्य न्यायालय के समक्ष पेश करना लाजिम आया है। वाद वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण संख्या 1 बाबत घोषणा, इस अमर की जावे कि वाद पत्र के मद संख्या 1 में वर्णित आराजीयात का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर हाल राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। वाद वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण संख्या 1 स्थायी निषेधाज्ञा डिक्री किया जाकर पाबंद किया जावे कि वो वादीगण के कब्जे काश्त मे किसी प्रकार की मजामहत न तो स्वयं करे, न ही अपने एजेंट, सर्वेंट आदि से करावे। तथा अन्य हितकर वादीगण हो वो मान्य न्यायालय प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 14 द्वारा उक्त वादीग्रस्त भूमि को बेचान किये जाने की एलानियां धमकी दिये जाने से वादी को यह युक्तियुक्त आशंका हो गयी है कि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 14 उक्त संपूर्ण अविभाजित भूमि मे निर्माण कराकर संपत्ति की मौका स्थिति बदल देंगे एवं संपत्ति को दीगर व्यक्ति को बेचान कर देंगे और वादी को उनके हिस्से व कब्जेशुदा भूमि से जबरन बेदखल कर देंगे। इसलिए वादी को अपने हितों व अधिकारों एवं अपने हिस्से की भूमि की सुरक्षा हेतु यह दावा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।

वाद प्रस्तुति के उपरान्त प्रकरण नियमानुसार दर्ज पंजिका किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण आदेशित किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दिनांक 13.06.2017 को जवाब दावा पेश किया गया।

प्रतिवादी संख्या 1 का जवाब दावा पेश होने पर नियमानुसार विवाद्यक तनकीयात कायम की गई।

1. आया वादीगण स्वयं को आराजी खसरा नंबर 430 रकबा 0.56 हैक्टेयर, खसरा नंबर 432 रकबा 0.67 हैक्टेयर वाके ग्राम राधाकिशनपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर का खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अधिकारी है ?

वादीगण

2. आया वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने का अधिकारी है ?

वादीगण

3. आया वादीगण का वादग्रस्त आराजी से कोई संबंध व सरोकार नहीं है और न ही उनका इस आराजी पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। अतः वादीगण किसी भी तरह की राहत प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है ?

प्रतिवादी संख्या 1

4. आया वादीगण का वाद वाद कारण के बिना ही पेश किया गया है अतः वादीगण का वादपत्र वाद हैतुक के अभाव में खारिज किए जाने योग्य है ?

प्रतिवादी संख्या 1

5. दादरसी

तदुपरान्त वादी द्वारा वर्ष 2020 से साक्ष्य पेश नहीं पर दिनांक 29.08.2022 को साक्ष्य वादी का अवसर बन्द किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा भी साक्ष्य पेश नहीं करने पर दिनांक 26.12.2022 को साक्ष्य प्रतिवादी का अवसर बंद किया गया।

प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने पर वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। हमने विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया तथा तनकीयात् निम्नानुसार निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 1 लगायत 4 सुविधा की दृष्टिकोण से एकसाथ निर्णित की जा रही है। वादी ने उक्त वाद में अपनी शहादत प्रस्तुत नहीं की है एवं इसी कारण वादी की साक्ष्य दिनांक 29.08.2022 को बंद की गई है, किसी भी प्रस्तुत वाद को निस्तारित करने हेतु साक्ष्यों की अहम भूमिका होती है उक्त वाद में वादी को साक्ष्य हेतु कई अवसर दिये जाने के बाद दिनांक 29.08.2022 को साक्ष्य का अवसर बंद किया जा चुका है जिससे स्पष्ट होता है कि वादी अपने दावे के

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

समर्थन मे आवश्यक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाये है। ऐसी स्थिति में तनकी संख्या 1 व 2 साक्ष्य के अभाव में वादी के विरूद्व निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 1 व 2 वादी के विरूद्व निर्णित होने से तनकी संख्या 3 ता 4 स्वतः ही प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

आदेश

उपरोक्त विवेचनानुसार तनकी संख्या 1 व 2 वादी के विरूद्व निर्णित होने से वादी का वाद अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली नियमानुसार फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
आमेर, जयपुर

न्यायालय सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर
सत्यमेव जयते